राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3966/2025

शशिकांत कुम्भज **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, करौली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा, करौली।
4. मुख्य खण्ड अधिकारी, जिला परिषद्, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.08.2025
आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–2 अंग्रेजी के पद पर पीएम श्री राजकीय विद्यालय, श्यामपुर, ब्लॉक मंडरायल जिला करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) में द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए समायोजन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भांकरी से पीएम श्री श्यामपुरा में पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी की पत्नी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय झारेड़ा, ब्लॉक हिण्डौन में पदस्थापित है। उनका कथन है कि समयोजन के समय दर्शाये गये रिक्त पदो में से समायोजित करने के उपरान्त भी अध्यापक लेवल–2 अंग्रेजी के हिण्डौन ब्लॉक में माध्यमिक शिक्षा में अभी भी 6 पद रिक्त है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी के पदस्थापन स्थान के मध्य लगभग 85 कि.मी. की दूरी है। अपीलार्थी के एक छोटी बच्ची है, जिसकी आयु 1 वर्ष है, दूर पदस्थापन होने के कारण उसके पालन–पोषण में समस्या हो रही है। अपीलार्थी का मूल निवास स्थान हिण्डौन ब्लॉक के नजदीक पड़ता है, जहां पर अपीलार्थी के माता–पिता रहते है, जो कि वर्तमान पदस्थापन स्थान से 140 कि.मी. की दूरी पर है। अपीलार्थी के पिताजी सोरायसिस जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित है, दूर पदस्थापन होने के कारण उनके स्वास्थ्य की देखभाल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त

फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को हिण्डौन ब्लॉक जिला करौली में अध्यापक ग्रेड–III, लेवल–2 के किसी भी रिक्त स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य